

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13122021-231814 CG-DL-E-13122021-231814

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4799] No. 4799] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 13, 2021/अग्रहायण 22, 1943 NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 13, 2021/AGRAHAYANA 22, 1943

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 2021

का.आ. 5180(अ).—इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को अधिसूचना संख्या का. आ. 4731 (अ), दिनांक 15 नवंबर, 2021, द्वारा विधिविरूद्ध संगम के रूप में घोषित किया गया है।

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 5 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस न्यायनिर्णयन के प्रयोजन के लिए कि क्या इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को एक विधिविरूद्ध संगम के रूप में घोषित करने के लिए पर्याप्त कारण है या नहीं, न्यायमूर्ति डी.एन. पटेल, मुख्य न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय से मिलकर बनने वाले एक विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण का गठन करती है।

[फा. सं. 14017/12/2021-एनआई-एमएफओ] प्रवीण वशिष्ठ, अपर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 13th December, 2021

S.O. 5180(E).—Whereas, the Islamic Research Foundation has been declared as an unlawful association, vide notification number S.O. 4731 (E), dated the 15th November, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby constitutes an Unlawful Activities (Prevention) Tribunal consisting of Justice D.N. Patel, Chief Justice, High Court of Delhi, for the purpose of adjudicating whether or not there is sufficient cause for declaring the Islamic Research Foundation as an unlawful association.

[F. No. 14017/12/2021-NI-MFO] PRAVEEN VASHISTA, Addl. Secy.